निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65/2021
दायरा दिनांकः—18.08.2021
निर्णय दिनांकः— 14.5.25

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद आयु 68 वर्ष
2. ओमप्रकाश आयु वर्ष पुत्रगण बाबूलाल जातियान कायस्थ पेसा काश्तकारी निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुस0 कल्याणी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री मांगीलाल पत्नि धनश्याम जाति गालव निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा
2. कजोड आयु 60 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 14.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अजय श्रीवास्तव — वादी
2. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 15 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, वाके माल भौरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है, जिसको वादीगण शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करते चले आ रहे है, एवं फसल बोते हुए काटते चले आ रहे है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की आराजी भी वादीगण के आराजीयात के पास स्थित है. एवं एक ही गेड होने से प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि को जबरदस्ती मिलाकर हाकने—जोतने पर आमादा रहते है। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष थोड़ी—थोडी भूमि पर कब्जा करने की नियत से मेड़ को भी हाक देते है. एवं वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने पर आमादा रहते है. एवं व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। प्रतिवादीगण से वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

द्वारा कई बार भूमि की पैमाईश करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण पैमाईश हेतु तैयार नहीं होते है. एवं लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा रहते है, एवं वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है. इस कारण प्रतिवादीगण को पाबंद करवाने हेतु वादीगण अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 15/06/2021 को प्रतिवादीगण वादीगण की उपरोक्त कब्जे काश्त की भूमियात को अपनी भूमि में मिलाने एवं कब्जा करने के उद्देश्य से ट्रेक्टर लेकर हकाई करने के लिए वादीगण की भूमि में जबरदस्ती घुसने पर आमादा हुऐ वादीगण ने मना किया तो लड़ाई–झगडा करने पर आमादा हुए और मां–बहिन की फौस फौस गालिया निकालने लगे और कहने लगे कि वादीगण को किसी भी कीमत भूमि से बेदखल करके रहेगे. इस प्रकार प्रतिवादीगण यादीगण की भूमि को हाकने पर आमादा हुए बमुश्किल से वादीगण की भूमि से वापस लोटे और कहकर गये कि मौका पाकर कब्जा करेगे और बादीगण को भूमि से बेदखल करेंगे। प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमिवात पर कब्जा करने व अतिक्रमण करने में सफल हुए तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूति धन से सम्भव नहीं होगी, तथा वादीगण को अनेकानेक मुकदमा बाजियों में उलझना पड़ेगा. इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण 1 ता 2 को शाश्वत काल के लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाबंद करवाने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 15/06/2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजीयात्त पर कब्जा करने की नियत से ट्रेक्टर लेकर हकाई करने का प्रयास किया एवं जाते–जाते कहकर गये कि उपरोक्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करेगे तथा काश्त भी नहीं करने देगे, लिहाजा यही वाद का कारण रहा यही तिथि बिनाय मुखासत हाजा करार दी जाती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भौरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 133 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 राजेन्द्र प्रसाद के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भौरा तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की आराजी के पास प्रतिवादीगण की आराजी है दोनो की एक ही मेड होने से प्रतिवादीगण मेड तोड कर वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है प्रतिवादीगण से मेड तोडकर कब्जा करने की मना करतें है तो लडाई – झगडा करने पर आमादा है तथा वादी को भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें। िकवह वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भौरा सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2075–78 खाता संख्या 133 के अनुसार राजेन्द्र प्रसाद ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति कायस्थ सा0देह दर्ज है। चूंकि भूमि रिज्यूम दर्ज है इसलिए रिज्यूम हटाए बिना वादी को पूर्ण खातेदार नही माना जा सकता तथा बिना खातेदार हुए धारा 188 का वाद मेन्टेनेवल नही है। इस वाद में वादी द्वारा रिज्यूम हटाने की रिलीफ नही चाही गई है वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष (ब) अन्य न्यायोचित सहायता के तहत भी रिज्यूम हटाने का अनुतोष दिया जाना सम्भव नही है क्योंकि वादी द्वारा ऐसे साक्ष्य/साबूत आवश्यक दस्तावेज पेश नही किए गए है जिससे रिज्यूम हटाने का आदेश दिया जा सकें। उपरोक्त के संदर्भ में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 65/2021	धारा ,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अजय श्रीवास्तव	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री कृष्ण गोपाल भार्गव	

वाद शीर्षक

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद आयु 68 वर्ष
2. ओमप्रकाश आयु वर्ष पुत्रगण बाबूलाल जातियान कायस्थ पेसा काश्तकारी निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुस0 कल्याणी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री मांगीलाल पत्नि धनश्याम जाति गालव निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा
2. कजोड आयु 60 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भौरा तहसील छबडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.5.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.स.	मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		